संख्या– /XVI(1)/14/7(16)/2012

प्रेषक,

डा0 रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तरखण्ड,
उद्यान भवन,चौबटिया–रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभागः–1 देहरादूनः दिनांक 30 सितम्बर, 2014

विषयः–वित्तीय वर्ष 2012–13 में राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण योजना अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने/संगोष्ठि व अन्य कार्यों हेतु धनराशि (राज्यांश) मांग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन, देहरादून के पत्रांक–166/NMFP/(5)बजट मांग/2014–15 दिनांक–05 मई, 2014, के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में विभागीय अनुदान संख्या–29 के आयोजनागत पक्ष की केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना 0318–राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना (75 प्रतिशत के0स0) में प्राविधानित कुल धनराशि रू0 1000.00लाख(रू0 दस करोड़ मात्र) में 25 प्रतिशत राज्यांश रू0 250.00लाख (रू0 दो करोड़ पचास लाख मात्र) में से वित्तीय वर्ष 2012–13 में योजनान्तर्गत राज्यांश अवशेष धनराशि रू0 102.62लाख (एक करोड़ दो लाख बासठ हजार मात्र) व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) इस धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यों हेतु स्वीकृत परिव्यय एवं बजट सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

(2) किसी भी शासकीय व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–318/XXVII(1)/2014, दिनांक–18 मार्च, 2013 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपाल सुनिश्चित किया जाय।

(3) अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग त्रैमास के आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जाय, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

(4) निर्माण कार्यो के लागत व वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कड़ी कार्यवाही व सघन अनुश्रवण किया जायेगा एवं इस हेतु बजट मैनुअल 2012 के सम्बन्धित प्रस्तरों का अनुपालना सुनिश्चित किया जायेगा तथा सम्बन्धित योजनाओं में वृहत निर्माण एवं लघृ निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय। यदि किसी निर्माण कार्य में किन्हीं कारणोंवश कार्य प्रारम्भ नहीं हुए तो उनकी स्वीकृति निरस्त करते हुए आवश्यकतानुसार उन कार्यो के सम्बन्ध में नये आगणन के आधार पर बजट उपलब्धता के दृष्टिगत नये सिरे से विचार किया जाय। प्रत्येक निर्माणाधीन कार्य के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 15.12.08 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 किया जायेगा।

(5) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो वहॉ व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6) व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

(7) आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण सम्बन्धित प्रपत्र में प्रत्येक माह वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय।

क्रमशः.....2

(8) योजनावार व्यय की सूचना सम्बन्धित प्रपत्र पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण/व्यय एकमुश्त न करके परिव्यय की सीमान्तर्गत वास्तविक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(9) योजनावार स्वीकृत धनराशि का व्यय सम्बन्धित योजना के संगत दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही की जायेगी। किसी भी दशा में संगत दिशा–निर्देशों से इतर कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(10) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि विभाग के नियंत्रणाधीन सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को तात्कालिकता से अवमुक्त कर दी जाय,ताकि फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

(11) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या–29 के लेखाशीर्षक 2401–फसल कृषि कर्म–119–बागवानी और सब्जियों की फसले–00–आयोजनागत–0318–राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना (75 प्रतिशत के0सा0)–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता प्राथमिक इकाईयों के नाम डाला जायेगा।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग करते समय मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जाय तथा समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जाय।

(13) निदेशक, उद्यान उपरोक्त धनराशि नियमानुसार आहरित कर निदेशक, राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन, उत्तराखण्ड के इलाहाबाद बैंक, देहरादून के खाता संख्या–50100836845 IFSC ALLA0210156 में नियमानुसार उपलब्ध करायेंगे।

(14) यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0पत्र संख्या–73(P)/वित्त–4/2014, दिनांक–27 सितम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या–891 /XVI(1)/14/7(16)/12, तददिनांकः

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिग माजरा, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– वित्त अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग,उत्तराखण्ड शासन।
6– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय,सचिवालय परिसर, देहरादून।
7– राज्य योजना आयोग, देहरादून, उत्तराखण्ड।
8– निदेशक, राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन, राजकीय उद्यान सर्किट हाउस, देहरादून।
8– राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(मंगल सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

DESKTOP/Budget 2014-15/CHARU.C.G